भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3450
20 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स योजना

3450. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के प्रभाव का ब्यौरा क्या है तथा इसमें शामिल उत्पादों और प्रदान की गई वित्तीय सहायता का उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना का विस्तार कर इसमें अतिरिक्त खाद्य उत्पाद शामिल करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 14वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है तथा 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान इस योजना को जारी रखने के लिए कितना बजट परिव्यय और आवंटन किया गया है;

(घ) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत शुरू की गई नई योजनाओं और मौजूदा योजनाओं की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना से लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना- "ऑपरेशन ग्रीन्स" (ओजी) को वर्ष 2018-19 से किसानों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ाने और फसलोत्तर नुकसान को कम करने के उद्देश्य से लागू कर रहा है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2021-22 के बजट भाषण में, मूल रूप से टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) फसलों तक लागू ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक रणनीति यानी एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं और स्टैंडअलोन पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का दायरा 22 विकारी फसलों तक बढ़ा दिया गया था जिसमें 10 फल, 11 सब्जियां और श्रिम्प शामिल हैं। योजना स्वरूप में मांग आधारित है; इस योजना के अंतर्गत प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे भारत से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं । सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों तथा एससी/एसटी, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) और एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) में

परियोजनाओं के लिए 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत राज्यवार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, देश भर में 44 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में पात्र फसलों के लिए पहचाने गए उत्पादन क्लस्टरों में 4 परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें 545.11 करोड़ रुपये की स्वीकृत अनुदान सहायता है, जिसकी कुल परियोजना लागत 2102.54 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं की स्वीकृत प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता 12.64 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है।

(ख): ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का विस्तार कर इसमें अतिरिक्त खाद्य उत्पादों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग): 14 वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान देश में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत 6 परियोजनाओं को सहायता दी गई। इन परियोजनाओं ने 10064 लोगों के लिए रोजगार सृजित किया है और देश में 16580 किसानों को लाभ पहुँचाया है। इनमें से कोई भी परियोजना उत्तर प्रदेश में स्वीकृत नहीं की गई है। इसके अलावा**,** 15 वें वित्त आयोग चक्र के दौरान**,** इस योजना के लिए 794.60 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय है । इसमें से 470.76 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित किए गए हैं।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017-18 से देश भर में"प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" " नामक केंद्रीय क्षेत्र की एक अम्ब्रेला योजना को लागू कर रहा है। इस योजना का मूल उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इस योजना का लक्ष्य देश में खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके उद्देश्य को प्राप्त करना है। पीएमकेएसवाई में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए अवसंरचना का निर्माण, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना(आईसीसी), खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का निर्माण / विस्तार (सीईएफपीपीसी), ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी) और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना / उन्नयन (एफटीएल योजना) नामक 5 चालू घटक योजनाएं हैं जो देश में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कोई नई योजना शुरू नहीं की गई है।

एपीसी योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की सीमा के अध्यधीन है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य अवसंरचना का विकास करना है जैसे खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकिंग सुविधाएं, स्टीम जेनरेशन बॉयलर, ड्राई वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्री-कूलिंग चैंबर, राइपनिंग चैंबर, आईक्यूएफ, विशेष पैकेजिंग, औद्योगिक भूखंडों का विकास, चारदीवारी, सड़कें, जलनिकासी, जलापूर्ति, पावर बैकअप सहित बिजली आपूर्ति, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, पार्किंग स्थल, तौल पुल आदि। इससे उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। जिससे अधिशेष उपज की हानि में कमी करने और बागवानी/कृषि उपज के मूल्यवर्धन में मदद मिलेगी । जिससे किसानों की आय में वृद्धि और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा ।

सीईएफपीपीसी योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ एससी/एसटी की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रति परियोजना अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये तक होती है। सीईएफपीपीसी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण/परिरक्षण को बढ़ावा देना और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण/क्षमता बढ़ाना है, जिससे प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी और बर्बादी में कमी आएगी।

शीत श्रृंखला घटक योजना के अंतर्गत, सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से तथा दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक है। यह सहायता समुद्री उत्पाद /मछली (झींगा को छोड़कर) उत्पादों की फसलोत्तर हानियों को कम करने के लिए खेत से उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत कोल्ड चेन, परिरक्षण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रदान की जाती है।

मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% और दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति **,** एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए तथा एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं और झींगा के लिए एकल पोस्ट-हार्वेस्ट अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए**,** अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; और एकल पोस्ट-हार्वेस्ट अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।

एफ.टी.एल. योजना के अंतर्गत, सरकारी संगठनों के लिए पात्र परियोजना लागत के 100% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा निजी संगठनों के लिए सामान्य क्षेत्रों में पात्र लागत के 50% की दर से तथा दुर्गम क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए पात्र परियोजना लागत के 70% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा खाद्य नमूनों के विश्लेषण में लगने वाले समय को कम करने के लिए खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ): पीएमकेएसवाई योजनाओं से प्रचालनरत परियोजनाओं से 33.31 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं ।

*****